

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF GST & CENTRAL EXCISE, चेन्नई उत्तर आयुक्तालय / CHENNAI NORTH COMMISSIONERATE

सी.सं. / C. No दिनांक / Date: /11/2020

व्यापार सूचना / TRADE NOTICE No.04/2020

विषय : जी.एस.टी. परिषद् की 42 वीं बैठक के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णयों के बारे में करदाताओं का संवेदनशीलन - के संबंध में ।

Subject: Sensitization of Taxpayers regarding major decisions taken during the 42nd

GST Council Meeting-- Regarding.

1. 5 अक्तूबर, 2020 को आयोजित जी.एस.टी. परिषद् की 42 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

Attention is invited to the decisions taken in GST Councils' 42_{nd} meeting held on 5^{th} October, 2020.

2. उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन की समय सीमा नीचे तालिका में दी गई है :

The timelines for implementation of the said decisions are given in the table below:

क्र.	निर्णय / Decision	से	प्रभावी
सं.		/ 1	w.e.f
/			
S. No			
1.	त्रैमासिक करदाताओं द्वारा तिमाही जीएसटीआर -1 प्रस्तुत करने की नियत तिथि आगामी महीने		
	की 13 वीं तारीख में संशोधित।	01.	01.20
	Due Date of furnishing quarterly GSTR-1 by quarterly taxpayers to be revised to $13 \mathrm{th}$ of the month succeeding the quarter.		21
2.	मासिक करदाताओं के लिए देयता का जीएसटीआर -1 से जीएसटीआर -3 बी में स्वतः बस जाना	01	01.20
	I	01.	01.20 21
	Auto-population of liability from own GSTR-1 to GSTR-3B for monthly taxpayers.		
3.	कुल वार्षिक बिक्री 5 करोड़ रुपये से कम के करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न और मासिक		
	कर भुगतान की सुविधा ।	01.	01.20
	Quarterly Returns and monthly tax payment facility for taxpayers with aggregate annual turnover below Rs 5 crores.		21

4.	आपूर्तिकर्ताओं के जीएसटीआर -1 से नव विकसित सुविधा के जरिए करदाताओं के जीएसटीआर- 2 बी में आईटीसी का स्वतः बस जाना ।	01.01.20
	Auto-population of ITC from suppliers' GSTR-1s through the newly developed facility in GSTR-2B for taxpayers	(मासिक / Monthly) 01.04.20 21
		(तिमाही / Quarterl y)
5.	जी.एस.टी.आर3 बी से पहले जी.एस.टी.आर1 का अनिवार्य रूप से भरना Mandatory filing of GSTR-1 before GSTR-3B	01.04.20 21
6.	बीजक में तथा जीएसटीआर-1 में माल के लिए एचएसएन और सेवाओं के लिए एसएसी घोषित करने के लिए संशोधित आवश्यकता : Revised requirement for declaring HSN for goods and SAC for services in invoices and in GSTR-1:	
	7. रूपए 5 करोड की कुल बिक्री के करदाताओं के लिए 6 अंक का एचएसएन/एसएसी a. 6 digits of HSN/SAC for taxpayers with aggregate annual turnover above Rs. 5 crores.	01.04.20 21

- 7. रूपए 5 करोड की कुल बिक्री के करदाताओं के लिए बी2 बी आपूर्ति के लिए 4 अंक का एचएसएन/ एसएसी
- b. 4 digits of HSN/SAC for B2B supplies for taxpayers with aggregate annual turnover up to Rs. 5 crores
 - 7. सभी करदाताओं के लिए आपूर्ति के अधिसूचित वर्ग के लिए एचएसएन के 8 अंक
 - c. 8 digits of HSN for notified class of supplies for all taxpayers
- 3. माल और सेवा कर, चेन्नई उत्तर आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय सलाहकार समिति, व्यापार संघ तथा वाणिज्य मंडल के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संघटक सदस्यों के बीच इस व्यापार सूचना का व्यापक प्रसार हेतु परिचालित करें । सामना की जाने वाली कठिनाइयां या सुझाव, यदि कोई हो तो, अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जा सकता है ।

All members of the Regional Advisory Committee, Trade Association and Chambers of Commerce falling under Chennai North GST Commissionerate are requested to circulate this trade notice among their constituent members for wide dissemination. Difficulties faced or suggestion, if any, may be brought to the notice of the undersigned.

(एन. एस. पार्थसारथी / N. S. Parthasarathy) संयुक्त आयुक्त / Joint Commissioner

सेवा में / To,

सभी व्यवसाय एवं उद्योग संघ / आर.ए.सी. सदस्य (डाक/ई-मेल द्वारा), के.मा.से.क., चेन्नई उत्तर आयुक्तालय, चेन्नई ।

File No.GEXCOM/TECH/PN/52/2020-TECH-O/o-Pr COMMR-CGST-CHENNAI(N)

All Business and Industry Associations / RAC Members (by post/email), Chennai North CGST Commissionerate, Chennai.

सभी जी.एस.टी. पंजीकर्ताओं को - केन्द्रीय रूप से प्रशासित (ई-मेल द्वारा), के.मा.से.क., चेन्नई उत्तर आयुक्तालय, चेन्नई ।

All GST Registrants - Centrally administered (by email), Chennai North CGST Commissionerate, Chennai.

अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / उप/सहायक आयुक्त, के.मा.से.क., चेन्नई उत्तर आयुक्तालय (सभी) (ई-कार्यालय द्वारा)

Addl. Commissioner / Joint Commissioner / Dy./Asst. Commissioners, Chennai North CGST Commissionerate, Chennai (All)(by e-office).

के.मा.से.क., चेन्नई उत्तर के सभी अधिकारियों के लिए सूचना हेतु [अधीक्षक (सेवा केन्द्र), नोटिस बोर्ड में इस व्यापार सूचना को प्रदर्शित करने हेतु]

For information of all officers of the Chennai North CGST [Supdt.(Seva Kendra), to display this Trade Notice, in the Notice Board].

अधीक्षक (कंप्यूटर / वेबसाइट / सामाजिक माध्यम) : इस व्यापार सूचना को वेबसाइट में अपलोड किया जाए / चेन्नई उत्तर के सभी जी.एस.टी. पंजीकर्ताओं (केन्द्रीय रूप से प्रशासित) को ई-मेल द्वारा भेजा जाए । Supdt (Computer / Website / Social Media): this Trade Notice to be uploaded in the website / emailed to all Chennai North GST Registrants (centrally administered)

सूचना हेतु प्रतिलिपि प्रस्तुत / Copy submitted for information to: प्रधान मुख्य आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी The Principal Chief Commissioner of CGST & Central Excise, Tamil Nadu & Puducherry.